



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940

No. 196]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच प्रारंभ करने की अधिसूचना का अनुशेष

(प्रति संतुलनकारी जांच – (एसी) 02/2018)

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

विषय : चीन जन. गण. के मूल के और वहां से निर्यातित “ओ-एसिड” के आयातों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की कथित संतुलनकारिता के संबंध में प्रति संतुलनकारी जांच आरंभ करना।

सं. 7/14/2018-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के मूल के और वहां से निर्यातित “ओ-एसिड” के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की कथित संतुलनकारिता और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव के संबंध में एक प्रति संतुलनकारी जांच आरंभ करने के लिए दिनांक 4 मई, 2018 की अधिसूचना सं. 7/14/2018-डीजीएडी जारी की हैं।

2. कथित अधिसूचना में एतद्वारा निम्नलिखित पैरा 3 (क) जोड़ा जाता है :

“3 (क). जबकि, पाटनरोधी नियमावली के नियम 27 के तहत, प्राधिकारी यह तय करते हुए कि पाटनरोधी शुल्क की संतुलनकारिता मौजूद है, ऑफ्लोक्सिन ईस्टर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश करते हैं, जो मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के लिए संतुलनकारी पाया गया है और ऐसा शुल्क नियम 26 के अनुसार जांच प्रारंभ करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है।”

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

ADDENDUM TO INITIATION NOTIFICATION

(Anti-Circumvention Investigation – (AC) 02/2018)

New Delhi, the 1st June, 2018

Subject: Initiation of anti-circumvention investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of “O-Acid”, originating and exported from China PR.

No. 7/14/2018–DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority issued a Notification. No. 7/14/2018-DGAD, dated 04 May 2018 initiating an anti-circumvention investigation concerning the alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on the imports of “O-Acid”, originating and exported from China PR and its effect on the domestic industry.

2. The following paragraph 3(a) is hereby added to the said Notification:

“3(a). Whereas, in terms of Rule 27 of Anti-dumping Rules, the Authority may, upon determination that circumvention of anti-dumping duty exists, recommend extension of anti-dumping duty to imports of Ofloxacin Ester found to be circumventing the existing anti-dumping duty and such levy may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation in accordance with Rule 26.”

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority